तारीख हुक्म	सीताराम बनाम मेवा देवी वगैरा **हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज** दावा मु.नं. – 13/2022	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	दावा पेश कर दिये जाने से वादपत्र में आज ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया गया। वकील वादी के निवेदन पर बहस वकील वादी एकपक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 11.01.2024 को पेश हो। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	
11.01.2024	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस बहुपक्षीय पूर्व में सुनी जा चुकी है। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 11/01/24 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.30 12:01:50 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
152 / 2023	2023 / 1187	26.10.2023	11.01.2024

उनवान प्रकरण

सीताराम पुत्र घीसादास दत्तक पुत्र बोदूदास उम्र 52 साल जाति स्वामी निवासी ढ़ाणी तिगढ़ा तन ग्राम अणतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

––वादी

बनाम्

1–मेवा देवी पुत्री लादूदास उम्र 82 साल

2–सुण्डी देवी पुत्री लादूदास उम्र 79 साल

3–सुगनी देवी पुत्री लादूदास उम्र 70 साल

4–गोपाल पुत्र घीसादास उम्र 45 साल

5–[illegible]ीरा देवी पुत्री घीसादास उम्र 42 साल

6–सुशीला पुत्री घीसादास उम्र 40 साल

7–नारायणी देवी पत्नी घीसादास उम्र 85 साल

8–रामेश्वरी देवी पत्नी उंकारदास उम्र 85 साल

9–झाबरमल पुत्र उंकारदास उम्र 43 साल

10–महेश पुत्र सांवरमल उम्र 40 साल

11–भींवाराम पुत्र सांवरमल उम्र 36 साल

12–प्रेम देवी पत्नी सांवरमल उम्र 38 साल

13–गीता देवी पत्नी बोदूदास उम्र 72 साल

14–संती देवी पुत्री बोदूदास उम्र 35 साल

15–नर्बदा पुत्री वोदूदास उम्र 34 साल

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.30 12:01:50 IST
Reason: SelfAttested

11/01/24
दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

जाति स्वामी निवासी ढाणी तिगढा तन ग्राम अणतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

16—भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

—प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1. श्री फूलचन्द सामोता, एड0 वादी अभिभाषक।
2. श्री झाबर सिंह भारणी , एडवोकेट— प्रतिवादीगण संख्या 1 से 10 व 12 की ओर से अभिभाषक ।
3. सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 16 की ओर से।

वादपत्र बाबत् इस्तकरार हक
(अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्त. अधि. 1955)

—:: निर्णय ::—

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) सत्यमेव जयते

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय से प्रस्तुत किया है कि राजस्व ग्राम अणतपुरा पटवार हल्का अणतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 84, 85 86, 87, 92, 93, 94, 95 कुल किता—8 कुल रक्बा 4.7900 हैक्टर व कृषि भूमि खसरा नम्बर 16, 48, 53, 57, 58, 6, 7 कुल किता—7 कुल रक्बा 3.1500 हैक्टर एंव कृषि भूमि खसरा नम्बर 11 रक्बा 1.7000 हैक्टर के 1/6 हिस्सा की खातेदारी मृतका भूरी देवी पत्नि सीमूराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 13, 13/4078, 50 कुल किता—3 कुल रक्बा 0.5800 हैक्टर तन ग्राम अणतपुरा पटवार हल्का अणतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.30 12:01:50 IST
Reason: SelfAttested

11/01/24
दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला—नीमकाथाना

(राज0) के 1/3 हिस्सा की खातेदारी मृतक नारायणदास पुत्र किशनदास के नाम दर्ज है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 10, 9 कुल किता–2 कुल रक्बा 0.8600 हैक्टर तन ग्राम अणतपुरा पटवार हल्का अणतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) के 1/2 हिस्सा की खातेदारी मृत्तक लादूदास पुत्र नारायणदास के नाम दर्ज है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 12 रक्बा 0.4400 हैक्टर तन ग्राम अणतपुरा पटवार हल्का अणतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) के 1/3 हिस्सा की खातेदारी मृतका भोरी देवी पत्नी लादूदास के नाम दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या–1 लगायत 15 आपस में एक ही परिवार खानदान से है। उक्त वर्णित कृषि भूमियां सजरा खानदान के अनुसार पक्षकारान् की पैत्रिक कृषि भूमियां है। जिनका पक्षकारान ने पारिवारिक सैटिलमेन्ट कर रखा है जिसके अनुसार कृषि भूमियां वर्णित मद संख्या–1 ता 3 वाद पत्र में मृतका भौरी देवी पत्नी लादूदास के नाम दर्ज हिस्सा 1/6 **एवं कृषि भूमि वर्णित मद संख्या–5 क वाद पत्र में मृतका भौरी देवी पत्नी लादूराम के नाम दर्ज हिस्सा** 1/3 की भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या–4 बहिस्सा बराबर बराबर काबिज काश्त चले आ रहे है एवं इसी प्रकार कृषि भूमि वर्णित मद संख्या–5 में मृतक लादूदास पुत्र नारायणदास के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा की भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या–4 बहिस्सा बराबर–बराबर काबिज काश्त चले आ रहे है एवं इसी प्रकार कृषि भूमि वर्णित मद संख्या–4 वाद पत्र में मृतक नारायणदास पुत्र किशनदास के नाम दर्ज हिस्सा 1/3 की भूमि में से 1/2 हिस्सा पर वादी व प्रतिवादी संख्या–4 बहिस्सा बराबर–बराबर काबिज काश्त चले आ रहे है एवं शेष 1/2 हिस्सा की भूमि पर प्रतिवादी संख्या –9 एवं 10, 11 काबिज काश्त चले आ रहे है। इसलिए उक्तानुसार वादी भूमियों की खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.30 12:01:50 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है तथा **यहां यह उल्लेखनीय है** मृतक लादूदास की पुत्रीयां एवं घीसादास की पुत्रीयां एवं बोदूदास की पुत्रीयां शादीशुदा होकर स्थायी रूप से ससुराल रह रही है एवं नारायणी पत्नी घीसादास एवं गीता देवी पत्नी बोदूदास ने अपने हक हिस्सा की भूमियों का त्याग प्रतिवादी संख्या–4 व वादी के हक में कर रखा है एवं उंकारदास की पत्नी रामेश्वरी देवी ने अपने हक हिस्सा का त्याग अपने पुत्र झाबरमल एवं मृतक पुत्र सांवरमल के वारिसान के हक में कर दिया है एवं प्रेम पत्नी सांवरमल ने अपने हिस्सा का त्याग अपने पुत्रो महेश व भींवाराम के हक में कर रखा है। वादी ने उपरोक्तानुसार भूमियों की खातेदारी दर्ज करवाने हेतु कहा तो पहले तो आश्वासन देते रहे परन्तु दिनांक 10–01–2021 को इन्कार हो गये। इसलिए माननीय अदालत में बिनाय ए दावा पैदा होकर दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। इस कारण प्रतिवादीगण को उक्त गलत व अवैध कार्यवाही के बाबत जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित व अति आवश्यक है। वकील वादी ने दावा पेश कर दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न रूपेण डिक्री फरमाये जाने का निवेदन किया है कि घोषणा इस आशय की पारित की जावे कि तन ग्राम अणतपुरा पटवार हल्का अणतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 84, 85 86, 87, 92, 93, 94, 95 कुल किता–8 कुल रक्बा 4.7900 हैक्टर एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 16, 48, 53, 57, 58, 6, 7 कुल किता–7 कुल रक्बा 3.1[illegible] हैक्टर एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 11 रक्बा 1.7000 हैक्टर में दर्ज हिस्सा 1/6 एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 12 रक्बा 0.44 हैक्टर में दर्ज हिस्सा 1/3 से मृतका भौरी देवी पत्नी लादूदास का नाम हजफ किया जाकर इसके स्थान पर वादी व प्रतिवादी संख्या–4

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.30 12:01:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

11/01/24
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

को बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 10, 9 कुल किता–2 कुल रकबा 0.8600 हैक्टर में दर्ज हिस्सा 1/2 से मृतक लादूदास पुत्र नारायणदास का नाम हजफ किया जाकर इसके स्थान पर वादी व प्रतिवादी संख्या–4 को बहिस्सा बराबर बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 13, 13/4078, 50 कुल किता–3 कुल रकबा 0.5800 हैक्टर के 1/3 हिस्सा की खातेदारी से मृतक नारायणदास पुत्र किशनदास का नाम हजफ किया जाकर इसके स्थान पर खातेदारी हिस्सानुसार 1/12 हिस्सा का वादी को एवं 1/12 हिस्सा का प्रतिवादी संख्या–4 को तथा 1/12 हिस्सा का प्रतिवादी संख्या–9 को एवं 1/12 हिस्सा का प्रतिवादी संख्या–10 व 11 को बहिस्सा बराबर बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्तानुसार खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाकर दुरूस्त किये जाने व प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाये जाने कि वे वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत नही करे, ना ही दीगर से कराये जाने का निवेदन अपने वादपत्र में करते हुए यह वाद वास्ते घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादी द्वारा प्र[illegible]त्र को दर्ज रजिस्टर किया [illegible] नोटिस के तलब किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये साधारण [illegible] [illegible] 9 की ओर से राजीनामा पेश गया। जिस पर वादी एंव प्रतिवादीगण संख्या 4 [illegible] 9 की ओर से राजीनामा पेश किया गया। जिसमें वादी की पहचान वादी वकील श्री फूलचन्द सामोता एड0 ने एंव प्रतिवादीगण की पहचान श्री झाबर सिंह भारणी एड0 ने की। प्रतिवादी संख्या 1 से

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.30 12:01:50 IST
Reason: SelfAttested

3, 7, 8, 10 व 12 की ओर से इकबालिया जवाब दावा पेश किया गया। वकील वादी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी का पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 11, 13 लगायत 15 की सम्मन तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से व प्रतिवादी संख्या 16 की तामील असालतन होकर लौटी है। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादीगण संख्या 11, 13 लगायत 15, 16 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गईं। साक्ष्य वादीगण के मुख्य परीक्षण में वादी सीताराम व साक्ष्य वादी गवाह में कालूराम के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किये गये। वकील वादी ने वादपत्र में प्रतिवादीगण के द्वारा राजीनामा पेश कर तस्दीक किये जाने तथा इकबालिया जवाब दावा पेश कर दिये जाने से प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाकर वादपत्र का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमनें वकील वादी की बहस एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादी की बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 की कुल पॉच जमाबन्दीयॉ, गोदनामा लेख रजिस्टर्ड दिनांकित 12.03.2007 की फोटोप्रति, साक्ष्य वादी के मुख्य परीक्षण में पेश वादी सीताराम व वादी गवाह में कालूराम द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से राजस्व ग्राम अणतपुरा पटवार हल्का अणतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में स्थित खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 84, 85 86, 87, 92, 93, 94, 95 कुल किता–8 कुल रक्बा 4.7900 हैक्टर एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 16, 48, 53, 57, 58, 6, 7 कुल किता–7 कुल रक्बा 3.1500 हैक्टर एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.30 12:01:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

कृषि भूमि खसरा नम्बर 11 रक्बा 1.7000 हैक्टर में दर्ज हिस्सा 1/6 एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 12 रक्बा 0.44 हैक्टर में दर्ज हिस्सा 1/3 की खातेदारी मृतका भौरी देवी पत्नी लादूदास के नाम एंव कृषि भूमि खसरा नम्बर 13, 13/4078, 50 कुल किता –3 कुल रक्बा 0.5800 हैक्टर तन ग्राम अणतपुरा पटवार हल्का अणतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) के 1/3 हिस्सा की खातेदारी मृत्तक नारायण दास पुत्र किशनदास के नाम एंव कृषि भूमि खसरा नम्बर 10, 9 कुल किता –2 कुल रक्बा 0.8600 हैक्टर तन ग्राम अणतपुरा पटवार हल्का अणतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) के 1/2 हिस्सा की खातेदारी मृत्तक लादूदास पुत्र नारायणदास के नाम एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 12 रक्बा 0.44 हैक्टर में दर्ज हिस्सा 1/3 से मृतका भौरी देवी पत्नी लादूदास के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड होना प्रमाणित होता है। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या–1 लगायत 15 आपस में एक ही परिवार खानदान से होना प्रस्तुत सजरा खानदान से स्पष्ट होता है। उक्त वर्णित कृषि भूमियां सजरा खानदान के अनुसार पक्षकारान् की पैत्रिक कृषि भूमियां होना प्रतित होती है। पक्षकारान् के द्वारा अपनी कृषि भूमियों का बाह्मी पारिवारिक समझौता पूर्व में किया जाना तथा उसी बंटवारा अनुसार मौके पर भूमियों पर काबिज काशत होना प्रकट होता है। जिसके खातेदारी अधिकारों की घोषणा किये जाने हेतु उक्त वादपत्र को प्रस्तुत किया जाना प्रकट होता है। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण के पक्ष में राजीना[illegible]कबूलिया जवाब दावा पेश करते हुए वादपत्र को स्वीकार [illegible] है। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र की साक्ष्य वादी के मुख्य परीक्षण में वा[illegible] सीताराम व वादी गवाह में कालूराम के लिखितशुदा शपथ पत्र से वादी के द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में अंकित तथ्यों

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.30 12:01:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

को बल मिलता है। वादी व प्रतिवादीगण पक्षकारान को उक्त भूमियों के खातेदारी अधिकारों की घोषणा किये जाने हेतु वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत ईस्तकरार हक को स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि राजस्व ग्राम अणतपुरा पटवार हल्का अणतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित कृर्षि भूमि खसरा नम्बर 84, 85 86, 87, 92, 93, 94, 95 कुल किता–8 कुल रक्बा 4.7900 हैक्टर एवं कृर्षि भूमि खसरा नम्बर 16, 48, 53, 57, 58, 6, 7 कुल किता–7 कुल रक्बा 3.1500 हैक्टर एवं कृर्षि भूमि खसरा नम्बर 11 रक्बा 1.7000 हैक्टर में दर्ज हिस्सा 1/6 एवं कृर्षि भूमि खसरा नम्बर 12 रक्बा 0.44 हैक्टर में दर्ज हिस्सा 1/3 से मृतका भौरी देवी पत्नी लादूदास का नाम हजफ किया जाकर इसके स्थान पर वादी व प्रतिवादी संख्या–4 को बहिस्सा बराबर बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा कृर्षि भूमि खसरा नम्बर 10, 9 कुल किता –2 कुल रक्बा 0.8600 हैक्टर में दर्ज हिस्सा 1/2 से मृतक लादूदास पुत्र नारायणदास का नाम हजफ किया जाकर इसके स्थान पर वादी व प्रतिवादी संख्या–4 को बहिस्सा बराबर बराबर खातेदार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार कृर्षि भूमि खसरा नम्बर 13, 13/[illegible], [illegible]8, 50 कुल किता –3 कुल रक्बा 0.5800 हैक्टर के 1/3 हिस्सा की खातेदारी से मृतक नारायणदास पुत्र किशनदास का नाम हजफ किया जाकर इसके स्थान पर खातेदारी हिस्सानुसार 1/12 हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.30 12:01:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) सत्यमेव जयते

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

का वादी को एवं 1/12 हिस्सा का प्रतिवादी संख्या--4 को तथा 1/12 हिस्सा का प्रतिवादी संख्या–9 को एवं 1/12 हिस्सा का प्रतिवादी संख्या–10 व 11 को बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्तानुसार खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाकर दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को उक्तानुसार भूमि को राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने व उक्त भूमि पर रहन इत्यादि हो तो वह रहन प्रतिवादीगण के नाम दर्ज अन्य भूमियों पर दर्ज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर) 11/01/24
(दिलीप सिंह)
दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.30 12:01:50 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक [illegible] को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर) 11/01/24
(दिलीप सिंह)
दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)